135

गोपनीय

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
गोरखपुर – 273012
Office of the General Manager (Vig)
Gorakhpur - 273012

सं0जेड / 13 / उपमुसताधि(याता.) / 2021 / पद्धति सुधार /136 दिनांक 05.03.2021

प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

विषयः– पद्धति सुधार के सम्बन्ध में।

एक सतर्कता निवारक जॉच के क्रम में पाया गया कि एक टिकट चेकिंग मुख्यालय के इंचार्ज द्वारा (स्टैटिक / टेबल ड्युटी में कार्यरत होते हुए भी) गाड़ियों में कार्यरत कर्मचारियों के निरीक्षण के नाम पर प्रति माह 5 से 7 दिनों का यात्रा भत्ता अनियमित रुप से आहरित किया जा रहा था, जिसके सम्बन्ध में सम्बंधित इंचार्ज द्वारा न ही कोई निरीक्षण रिपोर्ट अथवा न ही कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सका जो सिद्ध कर सके कि उनके द्वारा कथित निरीक्षण वास्तविक रुप से किया गया है अथवा नहीं। अतः स्टैटिक / टेबल ड्यूटी में कार्यरत चेकिंग स्टाफ द्वारा गलत तरीके से यात्रा भत्ता न आहरित किया जा सके इस सन्दर्भ में निम्न पद्धति सुधार लागू कराये जाने का अनुरोध है:–

1. स्लीपर इंचार्ज द्वारा गाड़ियों में कार्यरत चल टिकट निरीक्षकों के निरीक्षण के उपरांत उसी दिन वाणिज्य नियंत्रक से सी.यू.जी. / उपलब्ध संसाधनों से संपर्क स्थापित करके कन्ट्रोल डायरी अंकित करवा दी जाये कि उनके द्वारा अमूक गाड़ी में अमूक स्थान से अमूक स्थान तक निरीक्षण किया गया है जिसमें अमूक तथ्य पाये गये।
2. स्लीपर इंचार्ज द्वारा कृत निरीक्षण की निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक रुप में मंडल कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित की जाये भले ही निरीक्षण में कोई अनियमितता मिले अथवा नहीं।
3. स्लीपर इंचार्ज द्वारा कृत निरीक्षण के सम्बन्ध में TTE-12 पर पूर्ण विवरण अंकित करके अद्यतन रखा जाये जिससे आवश्यकता पड़ने पर निरीक्षण रिपोर्ट एवं TTE-12 में अंकित विवरण से प्रतिपरिक्षण किया जा सके।

अतः स्टैटिक / टेबल ड्यूटी में कार्यरत पर्यवेक्षकों द्वारा कर्मचारियों के निरीक्षण के नाम पर अनियमित रुप से यात्रा भत्ता न आहरित किया जा सके इस सम्बन्ध में सुझाये गये उपरोक्त पद्धति सुधार तत्काल प्रभाव से लागू कराये जाने का अनुरोध है।

(जे.पी. सिंह)
उपमुसताधि / यातायात
कृते महाप्रबन्धक / सतर्कता

16/3/21